न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/638

1. गणेश लाल आयु 70 साल बा0 लालू जी जाति मेघवाल निवासी कापरेन जोश्या का खेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नन्दकिशोर आयु 42 साल आत्मज गणेश लाल जाति मेघवाल निवासी जोश्या का खेडा कापरेन जिला बून्दी ।
2. द्वारकी लाल आयु 42 साल आत्मज मांगी लाल मेघवाल ।
3. रामू आयु 25 साल आत्मज भैरू लाल जाति मेघवाल ।
4. मनोज आयु 23 साल आत्मज भैरू लाल जाति मेघवाल ।
5. कैलाश बाई आयु 55 साल पत्नी भैरू लाल जाति मेघवाल ।
6. गोबरी लाल आयु 35 साल आत्मज गणपत लाल जाति मेघवाल ।
7. लटूर लाल आयु 42 साल आत्मज चन्दा लाल मेघवाल ।
8. सत्यनारायण आयु 36 साल आत्मज चन्दा लाल मेघवाल ।
9. सोहनी बाई आयु 60 साल पत्नी चन्दा लाल मेघवाल निवासीयान जोश्या का खेडा कापरेन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर लाल आत्मज मालाराम जाति बलई निवासी छत्रपुरा बून्दी हाल निवासी बाजीदसर तहसील एवं जिला झुन्झुनू (राज0) ।
2. रामदेव आयु 56 आत्मज नन्दा जाति मेघवाल निवासी जोश्या का खेडा कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. छीतर लाल आयु 80 साल आत्मज श्री किशन जाति मेघवाल ।
4. कन्हैया लाल आत्मज जगन जाति मेघवाल ।
   4/1. चन्दा बाई पत्नी कन्हैया लाल ।
5. प्रहलाद आत्मज जगन ।
6. मनोहर आत्मज जगन ।
7. किशोर बाई पत्नी जगन जातियान सभी मेघवाल निवासी कुलकरणी का भट्टा चारनाल पीपलीचाल कल्याण मिल के पीछे इन्दौर (एम0पी0) ।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
9. श्री दिनेश चौहान आत्मज छीतर लाल चौहान जाति मेघवाल निवासी पुराना माटून्दा रोड बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. मोडू लाल आत्मज नाथू लाल जाति रैगर निवासी वार्ड नमं0 17 छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अजय कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अडीला तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी खाता संख्या 313 में खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 1844 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 02 की कुल रकबा 1.21 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 2 से 7 की कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि है । उक्त भूमि पूर्व खातेदार श्रीमती छोटी बाई पत्नी श्योजी के नाम दर्ज थी, छोटी बाई के कोई औलाद नहीं थी । वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 से 7 का उक्त भूमि पर छोटी बाई की मृत्यु के समय से शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी तरीके से तथ्य छिपाकर इन्द्राज करवाने की आड लेकर प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 7 को ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी क्रम 1 व वादी क्रम 2 से 10 व प्रतिवादी क्रम 2 से 7 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 से 7 का नाम खातेदार के रूप में इन्द्राज किया जावे तथा इंतकाल संख्या 110 दिनांक 12.01.2001 को वादीगण के विरूद्ध शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 से 7 को ताकत के बल एवं दादागिरी के बल पर बम्बूल काटकर बेदखल कर कब्जा नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा पूर्व में पेश वाद संख्या 209/1996 में सत्य तथ्य छिपाकर न्यायालय निर्णय के माध्यम से अपना राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है । यह वाद पत्रावली पर रिकॉर्ड नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं मानना अपने निर्णय में अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय एसीएम के0 पाटन के निर्णय की प्रति प्रदर्श– 4 डिक्री प्रदर्श– 5 आदि पेश किये हैं जिनसे साबित है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा सत्य तथ्य न्यायालय से छुपाकर न्यायालय को धोखा देकर वाद डिक्री करवाया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार छोटीबाई पत्नी श्योजी के नाम दर्ज थी। छोटीबाई के कोई औलाद नहीं थी और पारिवारिक सजरे के अनुसार वादी कम 1 एवं 2 से 10 प्रतिवादी कम 2 से 7 इस आराजी के मालिक और काबिज काश्त हैं परन्तु आराजी छोटीबाई के खाते में चली आ रही है इसका फायदा उठाकर प्रतिवादी कम 1 के द्वारा एसीएम के न्यायालय में एक दावा पेश कर वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 25.07.2009 को हुई । तथ्यों को छुपाकर प्रतिवादी कम 1 ने दावा डिक्री करवा लिया है । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसे गलत रूप से खारिज किया गया है । प्रतिवादी रामेश्वर के पक्ष में जो दावा डिक्री हुआ है उसमें अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे इसलिए उस निर्णय से अपीलान्टगण के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं । बेचान का इकरारनामा जो शंकरी बाई के द्वारा लिखा गया है उसमें रामदेव के द्वारा हक त्याग किया गया जाना अंकित किया गया है परन्तु इस बाबत् कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किये गये गये हैं । इकरारनामा के आधार पर भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता । वादी ने अपने पक्ष में 03 गवाह पेश किये हैं जिनसे प्रतिवादीगण के द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है । वादग्रसत आराजी श्योजी से उनकी पत्नी छोटी बाई को प्राप्त हुई है और छोटीबाई के कोई औलाद नहीं होने से पति के वारिसों को जावेगी । प्रतिवादी कम 1 ने वादग्रस्त आराजी को दौराने वाद बेच दिया था । केता को भी पक्षकार बनाया गया है । दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण ने अपना वाद सिद्ध कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 209 पेज 238, आरआरडी 2009 पेज 693, डीएनजे 2014 (2) (राज0) पेज 644, आरआरडी 1992 पेज 304, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 561, 2011 आरआरडी पेज 616 उद्धरत की ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें वादीगण ने स्वयं को छोटीबाई का वारिस बताते हुए वादग्रस्त आराजी में हक, घोषणा की प्रार्थना की । पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श–1 पेश की जिसके अनुसार नया खाता संख्या 313 की खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.91 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1844 रकबा 0.30 हैक्टर कुल 02 किता की 1.21 हैक्टर भूमि रामेश्वरलाल आत्मज मालाराम जाति बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श– 2 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मु0 छोटी बेवा श्योजी कौम बलाई के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर इंतकाल नं0 110 दिनांक 12.01.2001 द्वारा सम्पूर्ण खाते पर रामेश्वर लाल आत्मज मालाराम जाति बलाई के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है । प्रदर्श– 3 नकल फर्द केचमेंट है । प्रदर्श– 4 सहायक कलक्टर, के0 पाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2000 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार रामेश्वर का दावा बाबत् हक, घोषणा डिक्री किया गया है । प्रदर्श– 5 इस निर्णय में पारित डिक्री है । प्रदर्श– 6 रामेश्वर द्वारा पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– 7 इकरारनामे की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– 8 नामान्तरकरण संख्या 110 की प्रति है जिसमें वादग्रस्त आराजी सहायक कलक्टर, के0 पाटन के निर्णय की अनुपालना में रामेश्वर के खाते में दर्ज की गई है । पत्रावली में बयान गवाह पी0डब्ल्यू0 –1 गणेश लाल, पी0डब्ल्यू0 – 2 लालूराम, पी0डब्ल्यू0 – 3 जमालुद्दीन कराये गये हैं ।

9. वादीगण ने स्वयं को छोटीबाई का विधिक वारिस बताते हुए हक, घोषणा का दावा पेश किया है । पूर्व में एक दावा प्रतिवादी क्रम 1 रामेश्वर ने सहायक कलक्टर, के0 पाटन के न्यायालय में पेश किया था जिसमें यह कथन किया गया था कि छोटीबाई का पुत्र नन्दा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी विधवा शंकरी की भी मृत्यु हो चुकी है उनके पुत्र रामदेव जीवित हैं और शंकरी ने उनके पक्ष में वर्ष 1984 में एक इकरारनामा बेचान किया था जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी क्रय कर कब्जा संभाला है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वह वादग्रसत आराजी के खाते कृषक हो गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने रामेश्वर के इस दावे को डिक्री किया है । रामेश्वर के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है । वादीगण का यह कथन है कि छोटी बाई के कोई औलाद नहीं थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन में पूर्व में रामेश्वर के द्वारा जो दावा पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उनके एक पुत्र नन्दा था जो फौत हो चुका है और नन्दा का पुत्र रामदेव मौजूद है और नन्दा की पत्नी फौत हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी छोटीबाई के खाते में दर्ज थी । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व तय करने के लिए यह जॉच किया जाना आवश्यक है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार छोटी बाई बेवा श्योजी के विधिक वारिस कौन हैं । छोटी बाई का पुत्र नन्दा था अथवा नहीं ? जहॉ तक रामेश्वर के पक्ष में सहायक कलक्टर, के0 पाटन के निर्णय का प्रश्न है उस प्रकरण में अपीलान्ट वादीगण पक्षकार नहीं थे । इस कारण यह निर्णय उन पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं डालेगा ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.10.2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा नम्बर 09 में किये गये विवेचन अनुसार छोटीबाई पत्नी श्योजी के विधिक वारिस के बाबत् जॉच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की पालना में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा